…यालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

रामगोपाल .... बनाम .... महेन्द्र

…मुकदमा .... T.I. .... मु.नं. .... 154 .... वर्ष 2012

	आज्ञा पत्र	
	पत्रावली पेश। अधि० उभयपक्ष हाजिर। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई। बहस प्रार्थिक अधिवक्ता व अप्रार्थी अधिवक्ता ने बहस/ बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। मूल वाद अनुतोषणा का है तथा दौराने वाद विवादित भूमि के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति में परिवर्तन करने पर वादी/प्रतिवादी के हित प्रभावित हो सकते हैं तथा वाद बाहुल्यता के बढ़ने की संभावना है। पक्षों के हितों का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर किया जाना है। अतः अप्रार्थीगण को विवादित भूमि के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति दौराने वाद बनाए रखा जाना आवश्यक है। इस विवेचना के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी को स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित भूमि ख.न. 369 रकबा 0.18 हेक्टर, ख.न. 386 रकबा 0.26 हेक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 0.44 हेक्टर वाके ग्राम नया की ढाणी पटवार हल्का रघुनाथगढ़ तहसील व जिला सीकर की भूमि पर तहरीर वाद संख्या 286/2012 मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली मिसल शामिल होकर नम्बर से कम हो, हाजिर दफ्तर हो। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।	